# महाराष्ट्र में उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शैक्षिक समस्याएँ एवं समाधान

## -रिपोर्ट-

(समस्याओं के समाधान के 36 सूत्री कार्यक्रम के साथ)

(नवंबर-2018)

**द्वारा**

**ज़मीर रज़ा शेख(राज्य सचिव)**

**अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटना**

देवलगाव मही ता.देवलगाव राजा ज़िला-बुलडाणा

महाराष्ट्र पिन-443206

संपर्क: +919420148148

# प्रस्तावना

पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अनेक जातियों एवं धर्म के मानने वाले लोग एकसाथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत के संविधान ने सभी जाती एवं धर्मों को समान अधिकार प्रदान किए हैं । देश में मुस्लिम, ख्रिश्चन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी जैसी अल्पसंख्यक जाती के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इन सभी अल्पसंख्यक जातियों में मुस्लिम जाती की लोकसंख्या सब से अधिक है । मुस्लिम अल्पसंख्यक जाती को मुख्यधारा में लाने हेतु कुछ सर्वेक्षण किए गए तथा कई अहवाल भी बनाए गए हैं। सच्चर समिती इसी का एक उदहारण है। सभी प्रकार के सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में मुस्लिम समाज शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। जिस देश के संविधान ने पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया उसी देश में मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शासन की तरफ से उचित पर्याय आज तक नहीं होपाए हैं । स्वतंत्रता प्राप्त करने के 7 दशकों बाद भी देश की दूसरी सब से बड़ी जाती का पिछड़ापन चिंतनीय है । केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि इस गंभीर विषय पर ध्यान देते हुए मुस्लिम जाती का पिछड़ापन दूर करने का प्रयास करे तथा इस के लिए उचित योजना बनाए । अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटन हमेशा ही राज्य की उर्दू भाषा से संबंधित समस्याओं के निराकरण का हरसंभव प्रयास करती रही है । संघटन के मा.अध्यक्ष मुहम्मद हनीफ सर के सुझाव पर महाराष्ट्र के उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शैक्षिक समस्याओं एवं उन के निराकरण के सुझाव सहित 36 सूत्री विस्तृत रिपोर्ट पेश कररहा हूँ और आशा करता हूँ की इन समस्याओं पर चिंतन करते हुआ उन के निराकरण के लिए दिए गए सुझावों के अनुसार शासन स्तर पर कार्यवाही होगी तथा मुस्लिम उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक समाज को मुख्यधारा में लाने की 35 कलमी योजना बनाई जाएगी।

दि.14-11-2018

**ज़मीररज़ा शेख**

राज्य सचिव

अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटन

**मोबाईल-9420148148**

# कुछ इस रिपोर्ट के बारे में.........!

महाराष्ट्र एक विशाल राज्य है जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक समाज रहता है। देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए 70 वर्षों से अधिक समय होगया है लेकिन आज भी मुस्लिम उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक समाज शिक्षा तथा अन्य क्षत्रों में पिछड़ा हुआ है । इस पिछड़ेपन को दूर करने आजतक कोई प्रमाणिक प्रयास नहीं हो पाया है । इस संबंध में बहुत सारे अहवाल बने लेकिन कभी तो उन में सभी समस्याओं और उन के निराकरण पर विस्तृत जानकारी नहीं थी या कभी इन अहवालों पर कोई कारवाई नहीं हो सकी। महाराष्ट्र में उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शैक्षिक समस्याएँ एवं समाधान इस विषय पर एक विस्तृत एवं सरल रिपोर्ट आवश्यक थी। मैं ने इस संबंध में मेरे साथी ज़मीर रज़ा शेख से चर्चा की और ऐसी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का कहा । उन्हों ने बड़ी मेहनत से यह 36 सूत्री रिपोर्ट तय्यार कर के इस आवश्यकता को पूरा किया है । मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ की अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटन की ओर से प्रस्तुत की जारही इस रिपोर्ट पर गंभीरतापूर्वक विचार एवं कारवाई होगी।

**शेख मुहम्मद हनीफ**
राज्य अध्यक्ष
अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटन
**मोबाईल-9423974138**

महाराष्ट्र में उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज विभिन्न कारणों से हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है जिसका मूल कारण शैक्षिक क्षेत्र है। यदि शैक्षिक क्षेत्र में मुस्लिम समाज की समस्याओं को जान कर उनके समाधान का सकारात्मक प्रयास किया जाए तो इस पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाना संभव है । इसी के प्रयास हेतु यह रिपोर्ट तय्यार की गई है।

**शैक्षिक क्षेत्र में मुस्लिम समाज की विभिन्न समस्याएँ तथा उन के समाधान के लिए सुझाव निम्नानुसार हैं।**

1- **<u>मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा हेतु आर.टी.ई के अनुसार उचित संख्या में उर्दू प्राथमिक स्कूलें उपलब्ध नहीं है।</u>**

राज्य के लगभग हर छोटे बड़े नगर एवं देहात में मुस्लिम समाज रहता है । किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा एक अतिमहत्वपूर्ण एवं आवश्यक माध्यम होता है। शिक्षा भी मातृभाषा में हो तभी छात्र शैक्षणिक ज्ञान को आसानी से समझ कर इस क्षेत्र में अपना विकास कर सक्ता है । महाराष्ट्र के अनेक देहातों में उर्दू भाषा की प्राथमिक स्कूलें न होने के कारण छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं कि किसी भी देहात में उर्दू प्राथमिक स्कूल नहीं है। बहुत से देहातों में उर्दू स्कूलें हैं लेकिन आज भी हज़ारों देहात ऐसे हैं जहाँ उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक समाज होने के बावजूद उर्दू माध्यम की प्राथमिक स्कूलें नहीं है। राज्य में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागु होने के बाद शासन की ओर से एक मास्टर प्लान के तहत हर उस देहात में मराठी माध्यम का प्राथमिक स्कूल खोला गया जहाँ मराठी भाषिक समाज होने के बावजूद मराठी स्कूल उपलब्ध नहीं था । मराठी की ही तरह उर्दू

माध्यम के भी स्कूल शिक्षण अधिकार अधिनियम के तहत निकषों में कुछ शिथिलता देते हुए शासन की ओर से शुरू किए जाने आवश्यक थे लेकिन शिक्षा अधिकार को लागु हुए 8 साल से अधिक का समय होजाने के पश्चात भी आज तक महाराष्ट्र के हज़ारों देहात उर्दू प्राथमिक स्कूलों से वंचित हैं।

## सुझाव:

मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा हेतु आर.टी.ई के अनुसार उचित संख्या में उर्दू प्राथमिक स्कूलें उपलब्ध कराई जाएँ। आर.टी.ई के अनुसार 1 ली से 5 वी के प्राथमिक स्कूल के लिए न्यूनतम छात्रसंख्या 20 होनी आवश्यक है इसलिए हर ऐसा गांव और देहात जहां मुस्लिम उर्दू भाषिक लोग रहते हों और वहां इस वर्ष 1ली से 4थी कक्षा के उर्दू भाषिक पालकों के उर्दू स्कूल न होने के कारण अन्य माध्यम की स्कूलों में शिक्षा ले रहे छात्रों की संख्या और अगले वर्ष 1ली कक्षा में दाखिल होने योग्य बच्चों की संख्या कुल मिलाकर न्यूनतम 20 होती हो तो वहां शासन की ओर से स्थानिक स्वराज्य संस्था का उर्दू प्राथमिक स्कूल खोला जाए।

2- **<u>आर.टी.ई के अनुसार उचित संख्या में उर्दू भाषा की उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलें उपलब्ध नहीं है।</u>**

कई स्थानों पर उर्दू प्राथमिक स्कूल है लेकिन 3 कि.मी एरिया में उर्दू उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है। इसी तरह कई उच्च प्राथमिक शालाओं के 5 कि.मी एरिया में उर्दू माध्यमिक स्कूल नहीं है। शिक्षण अधिकार के अधीन पिछले 8 वर्षों में इस पर कारवाई होजाना आवश्यक थी, लेकिन उर्दू भाषिक मुस्लिम समाज का पिछड़ापन एवं शासन की उदासीनता के कारण आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। पूरे देश में शिक्षा अधिकार लागु

होजाने के पश्चात महाराष्ट्र की यह परिस्थिती चिंतनीय एवं उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर अन्याय करने वाली है।

## सुझाव:

आर.टी.ई के अनुसार उचित संख्या में उर्दू भाषा की उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलें उपलब्ध कराई जाएँ। आर.टी.ई के अनुसार 3 कि.मी परिसर में उच्च प्राथमिक और 5 कि.मी परिसर में माध्यमिक स्कूल न हो तो वहाँ उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल खोलना आवश्यक है। आज भी राज्य में ऐसे कई गांव एवं देहात और शहरी इलाके हैं जहाँ उर्दू भाषिक मुस्लिम जनसंख्या होने के बावजूद 3 कि.मी एवं 5 कि.मी परिसर में क्रमशः उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक उर्दू स्कूलें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे सभी इलाक़ो में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलें खोलना आवश्यक है। इस के लिए जहां 1ली से 5 वी का स्कूल उपलब्ध है उसे उच्च प्राथमिक 6 से 8 वी के वर्ग और जहां उच्च प्राथमिक स्कूल मौजूद है वहाँ माध्यमिक के 9 से 10 वी के वर्ग जोड़े जाएँ।

## 3- उचित संख्या में उर्दू भाषा के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय उपलब्ध नहीं हैं।

दसवीं कक्षा तक उर्दू माध्यम से पढाई पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए राज्य में उचित संख्या में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर छात्र 10 वी कक्षा के आगे शिक्षा जारी नहीं रख पाते । इसी प्रकार 12 वी कक्षा के बाद उर्दू माध्यम के बी.ए, बी.कॉम, बी.एस.सी आदि स्नातक तथा एम.ए, एम.कॉम, एम.एस.सी आदि स्नातकोत्तर स्तर

के महाविद्यालय उचित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण मुस्लिम छात्र अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते।

## सुझाव:

उचित संख्या में उर्दू भाषा के कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं बी.ए, बी.कॉम, बी.एस.सी आदि स्नातक तथा एम.ए, एम.कॉम, एम.एस.सी आदि स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय उपलब्ध कराए जाएँ।

4- **उर्दू स्कूलों में आर.टी.ई में की गई तरतूद के अनुसार अध्यापक संख्या नहीं है।**

राज्य में दो प्रकार के स्कूल हैं|

i- **स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं द्वारा संचालित**

ii- **निजी संस्थाओं द्वारा संचालित**

राज्य की स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में पिछले 8 वर्षों से नए अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की गई है । आखरी बार उर्दू एवं मराठी स्कूलों में वर्ष 2010 में अध्यापकों की नियुक्तियां की गई थी । तब से आज तक अनेक अध्यापक सेवा निवृत्त हुए हैं तथा नए पद भी निर्माण हुए हैं । लेकिन राज्य शासन द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियाँ न किए जाने से अनेक उर्दू स्कूलों में पद रिक्त हैं और विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान होरहा है । नियुक्तियाँ न किए जाने का कारण यह था की राज्य की निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अनेक अध्यापक अतिरिक्त हो गए थे। इस कारण राज्य शासन ने स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में नई नियुक्तियाँ करने की बजाए निजी अतिरिक्त अध्यापकों के स्थानिक

स्वराज्य संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में समायोजन का नियोजन किया लेकिन नियोजन की असफलता, निजी संस्थाओं द्वारा की गई न्यायालयीन याचिकाएँ आदि कारणों से आज तक यह समायोजन पूरा नहीं हो पाया है। अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या मराठी माध्यम में तो बहुत अधिक थी किंतु उर्दू माध्यम में अत्यल्प प्रमाण में निजी संस्थाओं के अध्यापक अतिरिक्त हुए थे। लेकिन मराठी में अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या अधिक होने के कारण उर्दू माध्यम पर भी अन्याय किया गया और पिछले 8 सालों से स्थानिक स्वराज्य संस्था के उर्दू स्कूलों में भी अध्यापकों की नियुक्तियाँ नहीं की गई जिस के कारण विद्यार्थियों का शैक्षिक नुक्सान हुआ और आज तक होरहा है तथा राज्य में आर.टी.ई पर अमल नहीं हो पारहा है । वास्तव में यह समस्या सिर्फ मराठी माध्यम के लिए गंभीर थी,इस लिए उर्दू माध्यम की नियुक्तियाँ रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अब भी यह समस्या कायम है और राज्य की स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के हज़ारों पद रिक्त होने से विद्यार्थियों पर अन्याय होरहा है।

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में भी विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में बहुत कम अध्यापक कार्यरत हैं । निजी संस्थाओं की स्कूलों और विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जारहा है, वह यूँ कि **निजी संस्थाओं की स्कूलों में आर.टी.ई के अनुसार वर्तमान विद्यार्थी संख्या पर अध्यापक मान्य नहीं किए जारहे हैं बल्कि वर्ष 2013-14 की विद्यार्थी संख्या पर जितने अध्यापक मान्य थे उतने ही अध्यापक आज भी है जबकि इन स्कूलों में आज विद्यार्थी संख्या 2013-14 की तुलना में बहुत अधिक है** । इस प्रकार आर.टी.ई के अनुसार कार्यवाही नहीं होरही है । एक-एक कक्षा में 100

तक या इस से भी अधिक विद्यार्थी बिठाए जारहे हैं जिस से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुक्सान हो रहा है।

**सुझाव:**

उर्दू स्कूलों में आर.टी.ई में की गई तरतूद के अनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त होते ही उसी वक़्त भरे जाएँ और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में भी आर.टी.ई के अनुसार 2013-14 की बजाए **चालू वर्ष की छात्र संख्या पर अध्यापकों का निर्धारण कर के खाली पद भरे जाएँ।**

5- **<u>स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के उर्दू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनेक वर्षों से मुख्याध्यापकों के पद रिक्त हैं।</u>**

स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में से ही पदोन्नती के माध्यम से मुख्याध्यापकों की नियुक्तियां होती हैं। पदोन्नती आरक्षण के नियमों के अनुसार होती हैं जिस में एस.सी., एस.टी., एन.टी. के आरक्षित पद होते हैं। राज्य की उर्दू स्कूलों में एस.सी. वर्ग के शिक्षक शून्य प्रतिशत हैं जिस के कारण यह पद भरे नहीं जासकते। इसी तरह राज्य में एस.टी. एवं एन.टी वर्ग के उर्दू शिक्षक बहुत कम संख्या हैं और इन में से अधिकतर शिक्षक वेतन में अधिक वृद्धि न होने के कारण पदोन्नती नहीं स्वीकारते, जिस के कारण यह पद भी रिक्त रहते हैं। अधिकतर उर्दू स्कूलें मुख्याध्यापकों के बिना ही प्रभारी मुख्याध्यापकों के माध्यम से चल रही है जिस से विद्यार्थियों का शैक्षिक नुक्सान होरहा है कारण प्रभारी मुख्याध्यापक विद्यार्थियों को सिखाने के लिए नियुक्त होता है और मुख्याध्यापक का प्रभार सँभालने के कारण वह विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दे पाता।

**सुझाव:**

स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के उर्दू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनेक वर्षों से रिक्त एस.सी., एस.टी., एन.टी. के लिए आरक्षित मुख्याध्यापकों के पद भरे जाएँ । एस.सी., एस.टी., एन.टी. के शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिती में ओपन कैटेगिरी से ये पद भरे जाएँ और इस के लिए केंद्र स्तर से उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए उचित प्रावधान किया जाए।

6- उर्दू स्कूलों में अधिकतर उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक विद्यार्थी ही प्रवेश लेते हैं जिस के कारण देहातों की स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होती हैं लेकिन शिक्षकों के निर्धारण में उर्दू स्कूलों को आर.टी.ई में कोई सहूलत न दिए जाने के कारण 1 ली से 5 वी तक 5 वर्गों को सिखाने के लिए केवल दो शिक्षक होते हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक के 6 से 8 वी तक तीन वर्गों के लिए केवल दो शिक्षक होते हैं। इस प्रकार देहातों की उर्दू भाषिक अल्पसंखक विद्यार्थियों को उचित संख्या में अध्यापक उपलब्ध न होने से शैक्षिक नुक्सान होरहा है।

**सुझाव:**

आर.टी.ई में संशोधन कर अल्पसंख्यक संस्थानों की स्कूलों के लिए तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थानों की ऐसी स्कूलें जहाँ 75% से अधिक उर्दू भाषिक मुस्लिम विद्यार्थी हों ऐसी सभी स्कूलों के लिए न्यूनतम छात्रसंख्या में सहूलत सहित अन्य विशेष सहूलातों का प्रावधान किया जाए।

7- राज्य की बीस से कम छात्रसंख्या वाली उर्दू स्कूलों को राज्य शासन द्वारा बंद किया जारहा है।

**सुझाव:**

अल्पसंख्यक होने के कारण कुछ बहुत छोटे देहातों के प्राथमिक स्कूलों में मुस्लिम उर्दू भाषिक विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है। ऐसे किसी भी स्कूल को बंद न किया जाए।

8- अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थाओं की उर्दू स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियों पर पाबंदी न होने के पश्चात भी ज़िला प्रशासन द्वारा रिक्त पदों पर नए अध्यापकों की नियुक्ती को सिर्फ इस कारण से मंजूरी नहीं दी जाती कि राज्य शासन द्वारा मराठी माध्यम के शिक्षक सहित सभी स्कूल कर्मचारियों की भरती पर पाबंदी लगाई गई है।

**सुझाव:**

राज्य शासन को इस संबंध में ज़िला प्रशासन के नाम स्पष्ट आदेश निकालने के लिए कहा जाए और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थाओं की उर्दू स्कूलों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्तियाँ की जाए।

9- राज्य में कई वर्षों से शासन की मान्यता से 1 ली कक्षा से 12 वी कक्षा तक की अनेक स्कूलें शुरू हैं किंतु इन्हें शासन की ओर से अनुदान का प्रावधान होने के बावजूद अनुदानित नहीं किया गया है। **कई अनुदानित स्कूलों में कुछ इयत्ताओं के ऐसे सेक्शंस चल रहे हैं जिन्हें बरसों से अनुदानित नहीं किया गया है।** इसी तरह राज्य शासन ने अब स्वयं

अर्थसहाय्यित स्कूलें शुरू करने का धोरण अपनाया है जिस के कारण जहाँ आवश्यक है वहां भी स्कूल नहीं शुरू हो पारहे हैं और जहाँ शुरू हुए हैं वहां छात्रों से फीस ली जाती है। गरीब उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए फीस देकर शिक्षा प्राप्त करना शक्य नहीं है।

**सुझाव:**

शासन की मंजूरी से शुरू किए गए सभी प्रकार के विद्यालयों को एकसाथ 100% अनुदानित किया जाए। **अनुदानित विद्यालयों के सभी अनुदान से वंचित सेक्शंस को 100% अनुदानित किया जाए।** स्वयं अर्थ सहाय्यित धोरण बंद किया जाए और इस धोरण के अधीन शुरू हुए सभी विद्यालयों को 100% अनुदानित किया जाए।

10- शिक्षक के दीर्घ अवकाश पर जाने अथवा उस की अन्य किसी दफ्तर में डेपुटेशन पर नियुक्ती किए जाने पर स्कूल का पद उस के वापस आने तक कई-कई महीनों तक और डेपुटेशन के मामलों में कई कई सालों तक रिक्त रहता है और कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं की जाती। इस प्रकार विद्यार्थियों का शैक्षिक नुक्सान होता है।

**सुझाव:**

डेपुटेशन का धोरण पूरी तरह बंद किया जाए। कोई भी पद रिक्त होने पर डेपुटेशन की बजाए नई नियुक्ती द्वारा वह पद तुरंत भरने का प्रावधान किया जाए। शिक्षक के दीर्घ अवकाश पर जाने पर विद्यार्थियों के शैक्षिक नुक्सान को रोकने हेतु उस पद पर अस्थायी रूप से शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार शाला व्यवस्थापन समिती तथा मुख्याध्यापक

को दिया जाए और उस अस्थायी शिक्षक का वेतन शासन द्वारा दिया जाए।

11- हर एक उर्दू स्कूल में स्वतंत्र कक्ष में भव्य पुस्तकालय, स्वतंत्र कक्ष में विज्ञान प्रयोगशाला एवं स्वतंत्र संगणक कक्ष नहीं है।

**सुझाव:**

हर उर्दू स्कूल में स्वतंत्र कक्ष में भव्य पुस्तकालय, स्वतंत्र कक्ष में विज्ञान प्रयोगशाला एवं स्वतंत्र संगणक कक्ष उपलब्ध कराया जाए।

12- हर उर्दू स्कूल में एल.सी.डी प्रोजेक्टर एवं हर विषय के हर पाठ पर आधारित नमूना पाठ के वीडियोज़ उपलब्ध नहीं हैं।

**सुझाव:**

हर उर्दू स्कूल में एल.सी.डी प्रोजेक्टर एवं हर विषय के हर पाठ पर आधारित नमूना पाठ के वीडियोज़ उपलब्ध किए जाएँ।

13- स्कूलों में सभी प्रकार के खेलों को सिखाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस के कारण इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हमारे देश में आंतर्राष्ट्रीय स्तर के अच्छे खिलाडी अधिक संख्या में नहीं बन पारहे हैं।

**सुझाव:**

स्कूलों में सभी प्रकार के खेलों को सिखाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस के लिए हर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक

स्कूल में क्रीडा शिक्षक, खेल का मैदान एवं खेल साहित्य सहित भव्य क्रीडा संकूल का प्रावधान किया जाए।

14- प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर उद्योगविज्ञान इस विषय का ज्ञान न दिए जाने के कारण पढ़ लिख कर सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने वाली बेरोजगार युवकों की संख्या हर साल बढती जारही है।

**सुझाव:**

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर उद्योगविज्ञान यह विषय शामिल किया जाए अथवा विज्ञान विषय में ही उद्योगविज्ञान के पाठ शामिल किए जाएँ। बेरोजगारी को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है कि हमारे युवक स्कूली शिक्षा के बाद इस काबिल होजाएँ कि वह विविध उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। ग्रामीण विभाग के छात्र खेती की पैदावार से जो उद्योग कर सकते हैं इस की शिक्षा प्राथमिक स्कूल स्तर से दी गई तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सक्ता है।

15- **मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना और अन्य योजनाओं में छात्रों के साथ अन्याय किया जाता है।**

राज्य में 1 ली से 8 वी कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना, मध्यान्ह भोजन योजना आदि योजनाओं का लाभ देते समय स्वयं अर्थ सहाय्यित एवं गैर अनुदानित स्कूलों के छात्रों को वंचित रखा जाता है।

**सुझाव:**

स्वयं अर्थ सहाय्यित एवं गैर नुदानित सहित 1 ली से 8 वी कक्षा की सभी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना, मध्यान्ह भोजन योजना आदि सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए।

16- उर्दू स्कूलों को समय पर और सभी विषयों की पूरी पूरी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं की जाती। उर्दू स्कूलों में 1 ली कक्षा से मराठी विषय लागू किया गया है परंतु इयत्ता 1 ली और 2 री की मराठी विषय की पाठ्यपुस्तक छात्रों को नहीं दी जाती। इसी तरह कला, कार्यानुभव एवं शारीरिक शिक्षण विषयों की शिक्षक हस्त पुस्तिकाएँ उर्दू माध्यम के शिक्षकों को उपलब्ध नहीं की जाती और न ही इन विषयों की पाठ्यपुस्तकें छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी प्रकार कक्षा 11 वी एवं 12 वी की पाठ्यपुस्तकें अन्य माध्यम के छात्रों को शासन की ओर से उपलब्ध की जाती हैं लेकिन उर्दू माध्यम के लिए पाठ्यपुस्तकें तय्यार ही नहीं की जाती।

**सुझाव:**

उर्दू स्कूलों को समय पर और सभी विषयों की पूरी पूरी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँ। इयत्ता 1 ली और 2 री की मराठी विषय की पाठ्यपुस्तक तय्यार कर के छात्रों को दी जाए। इसी तरह कला, कार्यानुभव एवं शारीरिक शिक्षा विषयों की शिक्षक हस्त पुस्तिकाएँ उर्दू माध्यम के शिक्षकों के लिए उपलब्ध की जाएँ और इन विषयों की पाठ्यपुस्तकें छात्रों के लिए उपलब्ध की जाएँ। इसी प्रकार कक्षा 11 वी एवं 12 वी की पाठ्यपुस्तकें उर्दू माध्यम में तय्यार कर के अन्य माध्यम के छात्रों की तरह उर्दू माध्यम के छात्रों के लिए भी उपलब्ध की जाएँ।

17- स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं द्वारा संचालित राज्य के कुछ स्कूल आज भी मराठी माध्यम के स्कूलों के साथ एक ही यूडायस क्रमांक के तहत चलते हैं जिस के कारण उर्दू स्कूलों के नियंत्रण में कठिनाइयाँ होती हैं।

**सुझाव:**

स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारा संचालित राज्य के सभी उर्दू स्कूलों को स्वतंत्र यूडायस क्रमांक दिया जाए और इन स्कूलों को स्वतंत्र मुख्याध्यापक दिया जाए। उर्दू स्कूलों का शिक्षक निर्धारण(संच मान्यता) स्वतंत्र किया जाए।

18- उर्दू स्कूलों पर नियंत्रण के लिए उर्दू विषय का ज्ञान रखने वाले अधिकारी नहीं होते। राज्य में स्कूलों पर नियंत्रण हेतु हर तहसील का कुछ केंद्रों में विभाजन कर के हर केंद्र पर एक “केंद्र प्रमुख” होता है। इसी तरह तालुका स्तर पर “ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर”, ज़िला स्तर पर “एजुकेशन ऑफिसर” होते हैं। डिविज़न एवं राज्य स्तर पर विभिन्न अधिकारी होते हैं लेकिन उन्हें उर्दू भाषा का ज्ञान न होने के कारण वह उर्दू स्कूलों की परिस्थिती को सही तरह समझ नहीं पाते। राज्य में स्वतंत्र “अल्पसंख्यक शिक्षण संचालनालय” नहीं है।

**सुझाव:**

राज्य में स्वतंत्र “अल्पसंख्यक शिक्षा संचालनालय” की स्थापना की जाए और सभी उर्दू स्कूलों को इस के माध्यम से नियंत्रित किया जाए। उर्दू स्कूलों की सही जांच हेतु तालुका स्तर से ले कर राज्य स्तर

तक उर्दू का ज्ञान रखने वाले उर्दू माध्यम के अधिकारी/ कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जाएँ।

19- **अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को दी जाने वाली विशेष सहुलतें बंद कर दी गई हैं।**

राज्य के प्रचलित शैक्षिक धोरण में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकसंख्या निर्धारण करते समय विद्यार्थियों की आवश्यक संख्या में विशेष छूट दी गई थी किंतु राज्य में आर.टी.ई लागू होजाने के बाद यह छूट बंद कर दी गई है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों द्वारा संचालित स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है जिस के कारण छोटे गांवों की उर्दू स्कूलें कठिनाइयों से गुज़र रही हैं।

**सुझाव:**

आर.टी.ई. लागु होने से पहले अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को विशेष सहुलतें उपलब्ध थी । आर.टी.ई. में भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए विशेष सहुलतों का प्रावधान किया जाए । आर.टी.ई में स्कूलों के लिए जो न्यूनतम छात्रसंख्या दी गई हैं, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए उस में 50% की सहुलत दी जाए।

20- वैधकीय तथा अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों के उच्च शिक्षण के पाठ्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत नगण्य होता है।

**सुझाव:**

राज्य में उचित संख्या में मुस्लिम उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वैधकीय(एम.बी.बी.एस) तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों

की स्थापना की जाए तथा कार्यरत महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाए।

21- **<u>सरकारी नौकरियों में तथा अधिकारियों में मुस्लिमों का प्रमाण अत्यल्प है।</u>**

राज्य में 10% से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद सरकारी नौकरियों एवं अधिकारियों में मुस्लिमों की संख्या अत्यल्प है।

**सुझाव:**

सरकारी नौकरियों में मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्रों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

22- **<u>राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले आदर्श शिक्षक पुरस्कार माध्यम निहाय नहीं दिए जाते।</u>**

हर वर्ष राज्य शासन की ओर से शिक्षकों को आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिए जाते है,किंतु अधिकतर इन में उर्दू माध्यम के शिक्षकों की संख्या शून्य प्रतिशत या बहुत ही कम होती है।

**सुझाव:**

राज्य में उर्दू स्कूलों की संख्या और उर्दू शिक्षकों की संख्या के प्रमाण में उर्दू माध्यम के शिक्षकों का चयन आदर्श शिक्षक के तौर पर किया जाए।

23- अरबी मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है । इन मदरसों में उर्दू भाषा के साथ ही इंग्लिश, हिंदी आदि भाषाएँ और विज्ञान , गणित आदि विषय पढाए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता

जो एस.एस.सी,एच.एस.सी अथवा स्नातक स्तर की शिक्षा के समकक्ष माना जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र में मदरसा बोर्ड नहीं है। मदरसों को शासन की ओर से अनुदान नहीं मिलता न ही यहाँ के अध्यापकों को शासन की ओर से वेतन दिया जाता है।

**सुझाव:**

अरबी मदरसों के "नाज़ेरा" सर्टिफिकेट को एस.एस.सी के समकक्ष किया जाए तथा "हाफ़िज़" एवं "आलिम" के सर्टिफिकेट को स्नातक के समकक्ष किया जाए। **"महाराष्ट्र मदरसा बोर्ड" की स्थापना की जाए तथा इस के अंतर्गत मदरसों को सरकारी अनुदान और मदरसों के शिक्षकों को शासन की ओर से वेतन दिया जाए।**

24- **राज्य में टी.ई.टी प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है।**

राज्य में हर साल प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों पर नियुक्ती की योग्यता के लिए डी.एड. एवं बी.एड धारकों के लिए टी.ई.टी(परीक्षा) का आयोजन किया जाता है किंतु इस परीक्षा के लिए केंद्र स्तर की सी.टी.ई.टी. की तरह विषयवार एवं पाठवार अभ्यासक्रम उपलब्ध नहीं किया गया है जिस के कारण बहुत कम संख्या में उम्मीदवार पात्र हो पाते हैं। हर वर्ष उर्दू माध्यम के प्रश्नपत्र में अनेक प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और इनके पूरे गुण छात्रों को देने की बजाए कुल प्रश्नों में से उन गलत प्रश्नों को कम कर दिया जाता है।

**सुझाव:**

राज्य स्तर पर होने वाली टी.ई.टी.(परीक्षा) का विषयवार एवं पाठवार अभ्यासक्रम उपलब्ध किया जाए। उर्दू के प्रश्नपत्र में गलतियाँ न की जाए तथा गलत प्रश्नों को कुल प्रश्नों में से कम करने की बजाए उन गलत प्रश्नों के पूरे गुण छात्रों को दिए जाए।

**25-** अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ती की रक़म योजना की शुरुआत में 1000/- रु. प्रति वर्ष थी जिस में आज तक वृद्धि नहीं की गई है। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ती की रक़म भी नहीं बढाई गई है। छात्रवृत्तियों की संख्या भी हर वर्ष बढाई नहीं जाती। फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत खर्चिक और कठिन है। सभी छात्रों को इन स्कीमों का लाभ नहीं मिलता। ***प्रावधान होने के बावजूद बैंकों द्वारा शून्य बैलेंस पर छात्रों के खाते नहीं खोले जाते। न्यूनतम बैलेंस न रहने के कारण छात्रों के खातों में रकम आते ही फाईन के नाम पर कपात कर दी जाती है।***

## सुझाव:

अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ती की रक़म तथा छात्रवृत्तियों की संख्या बढाई जाए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आसान की जाए। पालकों से उत्पन्न का स्वयंघोषित दाखला लिया जाए। शासन की ओर से सभी राष्ट्रीय बैंकों को विद्यार्थियों के ज़ीरो बैलेंस पर खाते खोलने के सख्त आदेश दिए जाएँ। छात्रों के खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने के कारण फाईन के नाम पर कपात न की जाए तथा अब तक कपात की गई रकम छात्रों को लौटाई जाए।

26- गरीब मुस्लिम छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सरल माध्यम से कर्ज प्राप्त करने की सुविधा नहीं है । मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास

महामंडल द्वारा कर्ज मिलता है किंतु इस के लिए खुद की खेती अथवा घर(नुज़ूल विभाग में पंजीकृत) का होना अनिवार्य है या फिर जमानतदार की आवश्यकता होती है। शिक्षा कर्ज की जमानत के लिए कोई तय्यार नहीं हो पाता। अधिकतर छात्रों के घर नुज़ूल विभाग में पंजीकृत नहीं है। इस लिए ऐसे मुस्लिम उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक छात्र जिन के पास खुद की खेती अथवा घर न हो, को शिक्षा कर्ज नहीं मिल पाता। इसी के साथ शिक्षा कर्ज मंजूर करने के लिए सबंधित अधिकारीयों द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। इन छात्रों से संबंधित कॉलेज तुरंत ही फीस की मांग करता है और फीस की रकम न होने के कारण छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

**सुझाव:**

मुस्लिम उर्दू भाषिक अल्पसंख्यक छात्रों को सरल प्रणाली से बिना जमानतदार के शिक्षा कर्ज दिया जाए । इस के लिए छात्रों का आधार कार्ड और शिक्षा के प्रमाणपत्र को जमानत के तौर पर जमा कर के उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कर्ज दिया जाए। जिस तरह "मुद्रा लोन" में सिर्फ आधार कार्ड पर नागरिकों को शीघ्र लोन देने की योजना है उसी तरह शिक्षा कर्ज के लिए भी शीघ्र एवं सरल प्रणाली बनाई जाए। **ऐसी ऑनलाइन प्रणाली बनाई जाए जिस में छात्र और कॉलेज प्रशासन को ही अधिकतर अधिकार प्रदान किए जाएँ ताकि संबंधित अधिकारीयों द्वारा रिश्वत मांगने की समस्या ख़त्म होसके।** इस के साथ ही शासन की ओर से **सभी कॉलेजेस को सख्त आदेश दिए जाएँ की इन छात्रों से एडमिशन के समय फीस की मांग न की जाए और कर्ज की रकम मिलने तक इन छात्रों की कर्ज फाईल की रिसिप्ट को फीस के रूप में मान्य किया जाए।**

27- ज़िला स्तरीय शिक्षण समिती में मराठी माध्यम के शिक्षक संघटनों के 2 प्रतिनिधी लिए जाते हैं लेकिन उर्दू शिक्षक संघटनों का एक भी प्रतिनिधी नहीं लिया जाता।

**सुझाव:**

ज़िला स्तरीय शिक्षण समिती में हर ज़िले में कार्यरत उर्दू शिक्षक संघटनों में से भी दो प्रतिनिधी लिए जाएँ।

28- मा.ज़िलाधिकारी के नियंत्रण में चलने वाली ज़िला अल्पसंख्यक समिती तथा राज्य अल्पसंख्यक समिती में उर्दू शिक्षक संघटनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता।

**सुझाव:**

मा.ज़िलाधिकारी के नियंत्रण में चलने वाली ज़िला अल्पसंख्यक समिती तथा राज्य अल्पसंख्यक समिती में उर्दू शिक्षक संघटनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

29- राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक एवं उर्दू स्कूलों से संबंधित नीतियाँ बनाते समय अल्पसंख्यक एवं उर्दू शिक्षक संघटनों को विश्वास में नहीं लिया जाता।

**सुझाव:**

राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक एवं उर्दू स्कूलों से संबंधित नीतियाँ बनाते समय अल्पसंख्यक एवं उर्दू शिक्षक संघटनों को विश्वास में लिया

जाए। इस के लिए राज्य स्तरीय समितियों में अल्पसंख्यक तथा उर्दू शिक्षक संघटनों को प्रतिनिधित्व दे कर अल्पसंख्यक तथा उर्दू से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले उन की राय ली जाए।

30- राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्मिती एवं पाठ्यपुस्तकों की तयारी करते समय उर्दू शिक्षक संघटनों को विश्वास में नहीं लिया जाता।

**सुझाव:**

राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्मिती एवं पाठ्यपुस्तकों की तयारी से संबंधित समितियों में उर्दू शिक्षक संघटनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए । इस से पाठ्यपुस्तक निर्मिती में होने वाले गलतियों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है।

31- राज्य शासन की ओर से सभी स्कूलों को वर्गवार, विषयवार सभी पाठों के लिए ई-साहित्य वीडियो के स्वरुप में और सॉफ्टवेअर के स्वरुप में उपलब्ध नहीं किए जाते।

**सुझाव:**

राज्य शासन की ओर से सभी स्कूलों को वर्गवार, विषयवार सभी पाठों के लिए ई-साहित्य वीडियो के स्वरुप में और सॉफ्टवेअर के स्वरुप में उपलब्ध किए जाएँ।

32- राज्य की उर्दू माध्यम स्कूलों में नर्सरी और केजी के वर्ग उपलब्ध नहीं हैं।

**सुझाव:**

राज्य की उर्दू एवं मराठी माध्यम की प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश मेडियम की स्कूलों की तरह नर्सरी और केजी के वर्ग जोड़े जाएँ।

33- उर्दू माध्यम की जिन उच्च प्राथमिक(6 से 8 वी) स्कूलों में 100 से अधिक छात्रसंख्या हैं वहाँ आर.टी.ई के अनुसार अंशकालीन निदेशकों की नियुक्तियाँ की जाती हैं किंतु इन नियुक्तियों का अधिकार शाला व्यवस्थापन समिती को दिया गया है और बहुत सारी शाला व्यवस्थापन समितियाँ उर्दू स्कूलों पर मराठी या अन्य माध्यम के अंशकालीन निदेशक नियुक्त करती हैं।

**सुझाव:**

उर्दू स्कूलों में उर्दू माध्यम के ही अंशकालीन निदेशक नियुक्त किए जाएँ तथा अब तक की हुई अवैध नियुक्तियाँ रद्द की जाएँ । अंशकालीन निदेशक नियुक्ती शासन स्तर पर की जाए।

34- राज्य की सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारा संचालित उर्दू माध्यम स्कूलों में 90 प्रतिशत से भी अधिक छात्र मुस्लिम जाती के हैं । इस के बावजूद अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली सुविधाएँ स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारा संचालित उर्दू स्कूलों को नहीं दी जाती।

**सुझाव:**

राज्य की प्रचलित शिक्षा प्रणाली में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्कूलों को विशेष अधिकार दिए गए थे । ये सभी अधिकार आर.टी.ई में भी बहाल किए जाएँ तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थानों की जिन स्कूलों

में 75% से अधिक मुस्लिम छात्र हों उन स्कूलों को भी अल्पसंख्यक स्कूलों को दी जाने वाली सहुलतें दी जाएँ।

35- "मुस्लिम" यह जाती है जिस का धर्म "इस्लाम" है । इस के बावजूद सरकारी रेकॉर्ड में मुस्लिमों का धर्म "इस्लाम" लिखने की बजाए "मुस्लिम" लिखा जाता है।

**सुझाव:**

सरकारी रेकॉर्ड में मुस्लिमों का धर्म "मुस्लिम" की बजाए "इस्लाम" लिखा जाए। अब तक के रेकॉर्ड में जहाँ-जहाँ "मुस्लिम" लिखा है उसे दुरुस्त कर के "इस्लाम" किया जाए।

36- मुस्लिम समाज में बेरोजगारी का प्रमाण अधिक है । गरीबी के कारण शिक्षा में भी मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है।

**सुझाव:**

मुस्लिम बेरोजगारों को रोजगार के विशेष अवसर प्रदान किए जाएँ। रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। शिक्षा एवं नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दिया जाए। ***यदि यह आरक्षण शक्य नहीं हो तो आरक्षण की पुनर्रचना कर भारत में रहने वाली सभी जातियों को राज्य में उन की जनसंख्या के प्रमाण में राज्य स्तर पर और देश में उनकी जनसंख्या के प्रमाण में केंद्र स्तर पर हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए।***

राज्य सचिव
अखिल महाराष्ट्र उर्दु शिक्षक संघटना